Telegram : COMPYLADIR
Fax : (033)2287-0958
E-Mail : rd.east@mca.gov.in
Website : www.mca.gov.in

☎ (033)2287-3156
(033)2287-3404
(033)2287-7390

सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

कारपोरेट कार्य मंत्रालय/Ministry of Corporate Affairs

प्रादेशिक निदेशक कार्यालय (पूर्व व पूर्वोतर क्षेत्र)/Office of the Regional Director, (E & NE Region)

निजाम पैलेस, दुसरा एम. एस. ओ. बिल्डिंग, तीसरा तल/Nizam Palace, 2nd M. S. O. Building, 3rd Floor

आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road

कोलकाता/KOLKATA – 700 020.

सं0/No-प्रा0 नि0/रा0भा0/हिन्दी पत्रिका/2015/ दिनांक/Date-19-08-2015

निविदा आमंत्रण

इस कार्यालय द्वारा शाघ्र ही हिन्दी की आंतरिक गृह-पत्रिका "कारपोरेट प्रतिबिंब" के प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया है । ऐसी पत्रिकाओं के प्रकाशन का अनुभव रखने वाली फर्मों/प्रकाशक समूहों से नीचे में दिये गये विवरण के अनुसार हिन्दी की उक्त आंतरिक गृह-पत्रिका के प्रकाशन करने हेतु सीलबंद लिफाफों में कोटेशन/दर-सूची (QUOTATION) आमंत्रित की जाती है ।

क्रम सं0	कार्य की मद	संख्या व विशिष्टताएं
1.	"कारपोरेट प्रतिबिंब" पत्रिका का प्रकाशन	250 प्रतियां
2.	पृष्ठ संख्या	44+04 (आवरण सहित)
3.	कागज प्रकार	80 जी.एस.एम. एवं 130 जी.एस.एम.
4.	आवरण कागज	300 जी.एस.एम.
5.	मुद्रण (अंदर)	बहुरंगी व सादा-काला
6.	लेमिनेशन	चमकीला
7.	अंदर कलर पृष्ठ	08 पृष्ठ बहुरंगी + आवरण
8.	बाईंडिंग	सेंटर स्टीच

इच्छुक पार्टियों/फर्मों/प्रकाशक समूहों से अपेक्षित है कि वो उक्तानुसार निविदा/दर-सूची इस कार्यालय में भेजते समय सीलबंद लिफाफे के उपर- "हिन्दी की आंतरिक गृह-पत्रिका- कारपोरेट प्रतिबिंब का प्रकाशन हेतु कोटेशन" अवश्य लिखें । उनके कोटेशन के साथ बयाना राशि/Earnest Money जमा के रूप में राशि रूपये 5000/- (पाँच हजार मात्र) का एक डिमांड ड्राफ्ट, जो कि कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रतिदेय/Refundable होगा एवं जो - "Pay and Accounts Officer, Ministry of Corporate Affairs, Kolkata" के नाम आहरित हो, संलग्न होना चाहिए । अगर सफल बोलीकर्ता कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो बयाना राशि/Earnest Money को जब्त कर लिया जाएगा । उनके विधिवत कोटेशन इस कार्यालय को दिनांक 05-09-2015 को दोपहर 01.30 बजे तक या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना अपेक्षित है । प्राप्त कोटेशन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी दिन सायं 04.30 बजे खोला जाएगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त या अस्वीकार करने का अधिकार है । निविदाकर्ता, यदि चाहें तो, उक्त समय पर उपस्थित रह सकते हैं ।

आदेशानुसार

कृते प्रादेशिक निदेशक

Telegram : COMPYLADIR
Fax : (033)2287-0958
E-Mail : rd.east@mca.gov.in
Website : www.mca.gov.in

सत्यमेव जयते

☎ (033)2287-3156
(033)2287-3404
(033)2287-7390

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
कारपोरेट कार्य मंत्रालय/Ministry of Corporate Affairs
प्रादेशिक निदेशक कार्यालय (पूर्व व पूर्वोत्तर क्षेत्र)/Office of the Regional Director, (E & NE Region)
निजाम पैलेस, दुसरा एम. एस. ओ. बिल्डिंग, तीसरा तल/Nizam Palace, 2nd M. S. O. Building, 3rd Floor
आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road
कोलकाता/KOLKATA – 700 020.

सं0/No-RD/OL/Hindi Magazine/2015/ दिनांक/Date-19-08-2015

Invitation of Tender

It has been decided by this Office to get the In-House Hindi Magazine-"Corporate Pratibimba" published soon. Firms/Publication groups having experience of publishing such magazines are invited to submit their QUOTATIONS in Sealed Envelopes for the publication of the above In-House Magazine as per the description/requirement given hereunder-

SL No.	Work Item	Number and Description
1.	Publication of "Corporate Magazine"	250 Pcs
2.	Total Page Nos	44+04 =48 (Including Cover)
3.	Type of Paper	80 G.S.M. and 130 G.S.M.
4.	Cover Paper	300 G.S.M.
5.	Print (Inside)	Multi-Colour and Black & White
6.	Lamination	Bright
7.	Colour Pages inside	08 Pages Multi-Colour + Cover
8.	Binding	Centre Stitch

It is required of the interested parties/Firms/Publication Houses that they must super scribe "Quotation for publication of the In-House Hindi Magazine-CORPORATE PRATIBIMBA" on the Sealed envelope while sending their Tender/Quotation as per the above. Their Quotation should be accompanied with a Demand Draft of Rs. 5000/- (Rs. Five Thousand only) drawn in favour of "Pay and Accounts Officer, Ministry of Corporate Affairs, Kolkata" towards deposits of "Earnest Money" for completion of the above assignment which will be refundable upon completion of the job. In case of non-performance of the job by the successful bidder, the Earnest Money will be forfeited. It is required that their duly filled up Quotations must reach this Office on or before 05-09-2015 at 01.30 PM. Quotations thus received would be opened by the competent authority the same day at 04.30 PM. Competent authority reserves the right to cancel or reject any tender without assigning any reason. The Tenderer parties may remain present at that time, if they so desire.

By Order.
For Regional Director

Telegram : COMPYLADIR
Fax : (033)2287-0958
E-Mail : rd.east@mca.gov.in
Website : www.mca.gov.in

☎ (033)2287-3156
(033)2287-3404
(033)2287-7390

सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

कारपोरेट कार्य मंत्रालय/Ministry of Corporate Affairs

प्रादेशिक निदेशक कार्यालय (पूर्व व पूर्वोतर क्षेत्र)/Office of the Regional Director, (E & NE Region)

निजाम पैलेस, दुसरा एम. एस. ओ. बिल्डिंग, तीसरा तल/Nizam Palace, 2nd M. S. O. Building, 3rd Floor

आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road

कोलकाता/KOLKATA – 700 020.

सं0/No-प्रा0 नि0/रा0भा0/हिन्दी पत्रिका/2015/ 6564 दिनांक/Date-19 -08-2015

प रि प त्र

संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं माननीय संसदीय राजभाषा समिति से दिनांक 13-07-2015 को प्राप्त निदेश के अनुसरण में निदेशालय द्वारा शीघ्र ही हिन्दी की अर्धवार्षिक आंतरिक गृह-पत्रिका " कारपोरेट प्रतिबिंब" के प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया है । अत: इस निदेशालय के क्षेत्रीय प्रशासन के अंतर्गत सभी कार्यालयों में कार्य कर रहे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, मंत्रालय के अधीन अन्य कार्यालयों, तथा आम जनता से अनुरोध है कि वे राजभाषा हिन्दी में अपनी मौलिक रचनाएं जैसै- कविताएं, लेख, निबंध, कहानी, कारपोरेट मंत्रालय द्वारा शुरू किए गये आधुनिक एवं अग्रगामी कार्यों से संबंधित अपने बहुमूल्य विचार, लेख आदि स्थापना अनुभाग, प्रादेशिक निदेशक कार्यालय, (पूर्व क्षेत्र) को भिजवाने की कृपा करें ताकि उसे पत्रिका के प्रथम अंक यानि- प्रवेशांक में शामिल किया जा सके ।

2. भारत का कोई भी नागरिक प्रकाशन हेतु सामग्री दे सकता है । उच्च कोटि की सिर्फ मूल सामग्री का स्वागत/प्रकाशन किया जाएगा । रचनाकर्ता को यह निश्चित करते हुए एक प्रमाण-पत्र देना होगा कि उनकी रचना मूल रूप से उनके स्वयं द्वारा रचित है एवं मौलिक है । प्रकाशित सामग्री के रचनाकर्ता को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 08-02-2011 को जारी उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या- ई-12018/3/2008-हिन्दी (प्रति संलग्न) में दिए गये मानदेय के अनुसार उचित रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा ।

3. प्रकाशन हेतु रचनाएं कृपया दिनांक 04-09-2015 शाम 05.00 बजे तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि उसे समय से पत्रिका में शामिल किया जा सके ।

संलग्नक: यथोपरि ।

ह0/-
(बी0 के0 केन)
सहायक निदेशक

सेवामें,

1. क्षेत्र के सभी कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक/कं0 रजि0-सह-शास0 समापक ।
2. सभी अधिकारी/कर्मचारी/अनुभागाध्यक्ष ।
3. मंत्रालय की वेब-साईट ।
4. नोटिस बोर्ड ।

(बी0 के0 केन)
सहायक निदेशक

संख्या ई-12018/3/2008-हिंदी

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(हिंदी अनुभाग)

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110001, दिनांक- 8-02-2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः-मंत्रालय की गृह पत्रिका "कारपोरेट प्रवाहिनी" में प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय।

"कारपोरेट प्रवाहिनी", कारपोरेट कार्य मंत्रालय की गृह पत्रिका है जिसका प्रकाशन अर्ध-वार्षिक आधार पर जनवरी एवं जुलाई में किया जाता है। पत्रिका के पंचम अंक का प्रकाशन किया जाता है।

इस संदर्भ में दिनांक 29.11.2010 के समसंख्यक का.ज्ञा. कर संदर्भ लें जिसके द्वारा हिंदी में मौलिक रचनाएं दिनांक 15.12.2010 तक आमंत्रित की गई थीं। उक्त तिथि को एतद्द्वारा बढ़ाकर 15.02.2011 किया जाता है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों, कविताओं आदि के लिए निम्नवत् मानदेय भी निर्धारित किए गए हैः

विवरण	मानदेय की दरें
लेख, कहानी, नाटक, एकांकी	1000/- रुपये
कविता	300/- से 600 रूपये तक
पुस्तक समीक्षा	300/- से 400 रूपये तक

ह/-

(जितेन्द्र गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23389782

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय स्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
2. मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय ।